

डिकी मुकदमा इब्तादाई  
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम  
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस  
उनवान

1. रमेश चन्द पुत्र भज्जू (मृतक)  
1/1 शारदा देवी पत्नि रमेशचन्द  
1/2 विनोद कुमार पुत्र रमेश चन्द  
1/3 विजय कुमार पुत्र रमेश चन्द  
1/4 दिनेश कुमार पुत्र रमेश चन्द  
1/5 सजय कुमार पुत्र रमेश चन्द  
1/6 सपना कुमारी पुत्री रमेश चन्द
2. प्रकाश चन्द पुत्र भज्जू
3. गोविन्दराम पुत्र भज्जू
4. मोहनलाल पुत्र भज्जू

समस्त जातियान महाजन निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

मोहनसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा


मु0न0 78/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू ..... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादीगण का दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.03.2021 को जारी की गई।

  
(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपकरण अधिकारी टोडाभीम  
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					